बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 19.09.2025

थाना कोतवाली, थाना शाही, और जनपदीय एसओजी टीम #bareillypolice द्वारा सेवानिवृत्त सीओ श्री जगदीश चंद्र पाटनी के घर पर फायरिंग की घटना में शामिल 25,000 रुपये के इनामी बदमाश को उसके साथी सहित पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।

बरेली पुलिस द्वारा सेवानिवृत्त CO श्री जगदीश चन्द्र पाटनी जी के निवास पर 11-12 सितंबर को हुई फायरिंग की घटना में संलिप्त 25,000 रुपये के इनामी बदमाश रामनिवास उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम निवासी बेडकला जैतारण जनपद ब्याबर राजस्थान को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई संयुक्त टीमों की निरंतर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया का परिणाम है, जो अपराधियों के अंतरराज्यीय नेटवर्क को तोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हुई।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही

दिनांक 11/12.09.2025 को श्री जगदीश पाटनी निवासी थाना कोतवाली क्षेत्र, बरेली के घर पर अज्ञात युवकों द्वारा की गई फायरिंग की घटना के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 459/2025 धारा 109/351(2) बीएनएस के तहत पंजीकृत किया गया था। इस मामले में बरेली पुलिस, यूपीएसटीएफ, गाजियाबाद पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 17.09.2025 को ट्रानिका सिटी थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो अभियुक्त रविंद्र उर्फ रवि पुत्र कल्लू कालियान निवासी रोहतक, हरियाणा और अरुण पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी सोनीपत, हरियाणा गंभीर रूप से घायल हो गए जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त तीन अन्य वांछित अभियुक्तों में से दो विजय तोमर उर्फ भूरा निवासी बड़ौत जनपद बागपत और नकुल पुत्र संजीव निवासी बड़ौत जनपद बागपत को दिनांक 19.09.2025 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अवैध असलहा (पिस्टल और देशी तमंचा) बरामद हुआ जिसके समबन्ध में मु0अ0सं0 247/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया।

इसी प्रकरण में एक अन्य वांछित अभियुक्त रामनिवास उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम निवासी बेडकला जैतारण जनपद ब्यावर, राजस्थान जिसपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, को बरेली पुलिस की एसओजी और सर्विलांस टीम द्वारा लगातार ट्रैक किया जा रहा था। दिनांक 19.09.2025 समय 16:55 बजे दुनका से बिहारीपुर जाने वाले संपर्क मार्ग के पास पुलिस टीम द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के इरादे से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें रामनिवास घायल हो गया। उसे एक 32 बोर पिस्टल, तीन जिंदा, चार खोखा कारतूस, एक मिस कारतूस और एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उसके साथी अनिल पुत्र सतीश कुमार निवासी राजपुर थाना बढ़ी जनपद सोनीपत, हरियाणा को भी एक 315 बोर तमंचा, चार खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग के दौरान एसओजी के कांस्टेबल संदीप चाहर बाएं बाजू में गोली लगने से घायल हो गए। घायल अभियुक्त रामनिवास और कांस्टेबल संदीप चाहर को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों की स्थिति स्थिर है। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना शाही पर मु0अ0सं0 444/2025 धारा 109 बीएनएस और 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है।

BAREILLY POLICE

अभियुक्तों का विवरणः-

1. रामनिवास उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम निवासी बेडकला जैतारण जनपद ब्यावर, राजस्थान (घायल)
2. अनिल पुत्र सतीश कुमार निवासी राजपुर थाना बढ़ी जनपद सोनीपत, हरियाणा

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 459/2025 धारा-109/351(2) बीएनएस थाना कोतवाली, बरेली
2. मु0अ0सं0 444/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शाही, बरेली (पुलिस मुठभेड़)

बरामदगी का विवरणः-

1. अभि0 राम निवास से 01 पिस्टल 32 बोर, 03 जिन्दा, 04 खोखा व 01 मिस कारतूस 32 बोर
2. अभि0 अनिल से 01 तमंचा 315 बोर, 04 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस
3. एक मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त रामनिवास उर्फ दीपक ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने रविन्द्र, अरुण, विजय और नकुल के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। उसने बताया कि घटना से पूर्व सभी ने मिलकर घटनास्थल की रेकी की और योजना को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न होटलों में ठहरने की व्यवस्था की। इस दौरान उन्होंने शहर और जिले से बाहर निकलने के लिए ग्रामीण और देहाती रास्तों की खोज की। दिनांक 11.09.2025 और 12.09.2025 को उन्होंने योजना के अनुसार घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद वे छुपते-छुपाते पूर्व नियोजित ग्रामीण रास्तों से नेपाल भागने की कोशिश में थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया।

अभियुक्त अनिल ने बताया कि वह एक गाड़ी रिपेयरिंग मैकेनिक है और उसका रविन्द्र से डेढ़ वर्ष पहले परिचय हुआ था। रविन्द्र और अरुण समय-समय पर उसकी गैराज में गाड़ी रिपेयरिंग के लिए आते थे। उनकी मांग पर अनिल उन्हें बाइक उपलब्ध कराता था। घटना के बाद रामनिवास ने अनिल को सुझाव दिया कि वे नेपाल भाग जाएं और स्थिति शांत होने पर वापस लौट आएंगे। इसके लिए रामनिवास द्वारा पहले से खोजे गए ग्रामीण रास्तों का उपयोग करते हुए वे नेपाल जाने की कोशिश में थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

पुलिस टीम का विवरणः-

SOG टीम	थाना कोतवाली	थाना शाही
निरीक्षक श्री सुनील कुमार शर्मा	प्र0नि0 श्री अमित कुमार पाण्डेय	थाना प्रभारी शाही श्री धर्मेंद्र बिश्नोई
उ0नि0 श्री नवीन कुमार	कां0 कपिल तोमर	उ0नि0 श्री सुधीर कुमार चौ0प्र0 दुनका
हे0कां0 संजय सिंह		उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार शर्मा
हे0कां0 राहुल कुमार		हे0का0 ज्ञानेश शर्मा
हे0कां0 अविनेश कुमार		कां0 सौरभ कुमार
कां0 संदीप चाहर		कां0 शेखर
कां0 प्रशांत कुमार		
कां0 ऋषभ चौधरी		
कां0 सुनील कुमार		
कां0 चालक संदीप तोमर		

BAREILLY POLICE